न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठीसीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)
वाद पत्र संख्या :— 174 / 2019

1. महेन्द्र आयु 38 साल आ0 श्रीकिशन जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0

—— वादी

बनाम

1. श्रीकिशन आयु 60 साल आ0 मोड्रू जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. नरेन्द्र आयु 31 साल आ0 श्रीकिशन जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
3. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन

—— प्रतिवादीगण

वादः— अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :—

1— वादी की ओर सें श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट
2— प्रतिवादी की और सें श्री महावीर प्रसाद बागडी एडवोकेट

—::निर्णय::— दिनांकः 17.12.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 04.12.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि का पेश किया गया ।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 216 पुराना 205 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1 रकबा 0.26 है0,खसरा संख्या 25 रकबा 1.20 है0, खसरा संख्या 133 रकबा 1.05 है0, खसरा संख्या 134 रकबा 0.45 है0, खसरा संख्या 156 रकबा 1.60 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.56 है0 वाके ग्राम व माल रंगपुरिया पटवार हल्का चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 मे स्थित है। मूल पुरूष श्रीकिशन है

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

श्रीकिशन के पुत्र वादी महेन्द्र व प्रतिवादी संख्या 2 नरेन्द्र है। वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पुरखो सें पीढ़ी दर पीढी चली आ रही है । जिसमें वादी 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी पृथक सें निवास कर रहा है। स्वयं तथा अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिये अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली कृषि भूमि का हिस्सा प्राप्त करना चाहता है क्योकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने सें उक्त भूमि को रहन, बय व अन्यत्र हस्तानान्तरण करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विधिवत रूप से 1/3–1/3 हिस्से का पृथक–पृथक बंटवारा दर्ज किया जावे।

3. वादी को वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से दिनांक 12.12.2019 को राजीनामा पेश किया गया।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 12.12.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–::निर्णय::–

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 216 पुराना 205 के खसरा संख्या 1 रकबा 0.26 है0, खसरा संख्या 156 रकबा 1.60 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.86 है0 वाके ग्राम व माल रंगपुरिया पटवार हल्का चितावा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 वादी महेन्द्र आ0 श्रीकिशन जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से व कब्जे में रहेगी। खाता संख्या नया 216 पुराना 205 की कृषि भूमि खसरा संख्या 25 रकबा 1.20 है0 मे सें 0.84 हैक्टर उत्तर दिशा वाके ग्राम व माल रंगपुरिया पटवार हल्का चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 प्रतिवादी संख्या 1 श्रीकिशन आ0 मोडू जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से व कब्जे में रहेगी। खाता संख्या 216 पुराना 205 के खसरा संख्या 133 रकबा 1.05 है0, खसरा संख्या 134 रकबा 0.45 है0, खसरा संख्या 25 रकबा 1.20 है0 मे सें 0.36 है0 दक्षिण दिशा कुल किता 3 कुल रकबा 1.86 है0 वाके ग्राम व माल रंगपुरिया पटवार हल्का चितावा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 प्रतिवादी संख्या 2 नरेन्द्र आ0 श्रीकिशन जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से व कब्जे में रहेगी एवं बैंक रहन बदस्तुर

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के० पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

महेन्द्र **v/s** **श्रीकिशन वगै0**

वादः– अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 174/2019

वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री महावीर प्रसाद बागडी की उपरिथति में आज दिनांक 17.12.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

''वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 216 पुराना 205 के खसरा संख्या 1 रकबा 0.26 है0, खसरा संख्या 156 रकबा 1.60 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.86 है0 वाके ग्राम व माल रंगपुरिया पटवार हल्का चितावा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 वादी महेन्द्र आ0 श्रीकिशन जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से व कब्जे में रहेगी। खाता संख्या नया 216 पुराना 205 की कृषि भूमि खसरा संख्या 25 रकबा 1.20 है0 मे सें 0.84 हैक्टर उत्तर दिशा वाके ग्राम व माल रंगपुरिया पटवार हल्का चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 प्रतिवादी संख्या 1 श्रीकिशन आ0 मोडू जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से व कब्जे में रहेगी। खाता संख्या 216 पुराना 205 के खसरा संख्या 133 रकबा 1.05 है0, खसरा संख्या 134 रकबा 0.45 है0, खसरा संख्या 25 रकबा 1.20 है0 मे सें 0.36 है0 दक्षिण दिशा कुल किता 3 कुल रकबा 1.86 है0 वाके ग्राम व माल रंगपुरिया पटवार हल्का चितावा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 प्रतिवादी संख्या 2 नरेन्द्र आ0 श्रीकिशन जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से व कब्जे में रहेगी एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।''

नीज .... ग .... मुबलिक ....ग .... बाबत .... ग .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... ग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग .... को अदा करे।

बसब्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 17.12.2019 को जारी की गई।

(मोहर)

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner